



JALAUN POLICE

दिनांक – 28.04.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान० न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 80,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी घटना के संबन्ध में कोतवाली माधौगढ में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 04.03.2017 को मु०अ०सं० 27/2017 (वाद संख्या 65/17) धारा 363/366/376(2)(i)/323/344/376D/504 भादवि 5G/6 पॉक्सो एक्ट बनाम 1- राममिलन पुत्र राम दोहरे नि० ऐदलपुर थाना जालौन जनपद जालौन 2- अवधेश पुत्र हरलाल 3- आनन्द कुमारी पत्नी अवधेश नि० गण ग्राम रजपुरा थाना माधौगढ जनपद जालौन 4- राजू पुत्र श्रीराम नि० ग्राम ऐदलपुर थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 11.08.2017 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 28.04.2025 को मा० न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राजू उपरोक्त को धारा 363/366/323/344 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 80,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दिनांक 18.04.2025 को उपरोक्त अभियोग में 1- राममिलन 2. अवधेश उपरोक्त को दण्डित किया गया था एवं आनन्द कुमारी को दोषमुक्त किया गया था।